



# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 297 | श्री विजयपुरम, शुक्रवार, 06 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए





चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

# जलवायु परिवर्तन द्वीपों के अस्तित्व के लिए बन सकता है खतरा : डॉ. दिनेश शर्मा

## जलवायु परिवर्तन के दौर में विकास को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत

### अण्डमान निकोबार है भारत का सुरक्षा प्रहरी

### समुद्र ही लहरों से निकले जीवन का संदेश










लखनऊ/श्री विजयपुरम, 5 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन द्वीपसमूहों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। बढता तापमान, समुद्र का बढता जलस्तर और चक्रवातों की तेजी इस संकट को गहरा करते हैं। अण्डमान निकोबार के कुछ द्वीप जो नीचे के स्तर पर स्थित हैं उनके लिए विशेष कार्य योजना की आवश्यकता होती है।

''जलवायु परिवर्तन के दौर में द्वीपों का भविष्य–अण्डमान निकोबार के संदर्भ में'' विषय पर आयोजित सेमिनार में माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि इस संकट को देखते हुए विकास को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है। विकास इस प्रकार हो कि प्रकृति संरक्षण साथ में ही हो सके। अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह भारत की सीमा प्रहरी होने के साथ ही प्रकृति के प्रति ज़िम्मेदारी का भी बोध कराते हैं। समुद्र की लहरों से जीवन का संदेश निकलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन द्वीपसमूह के सामाजिक जीवन और परम्परा को भी प्रभावित कर रहा है। मानव सभ्यता प्रकृति के साथ संघर्ष करके नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल स्थापित करके ही सुरक्षित रह सकती है। इसलिए ही अण्डमान में प्रकृति के संरक्षण के साथ प्रगति के मंत्र को आत्मसात किया गया है। अण्डमान तथा अन्य द्वीपों में प्रकृति का सौन्दर्य देखते ही बनता है जो इन्हे पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाता है पर जलवायु के बदलाव इस सौन्दर्य को ही खतरे में डाल रहे है।

अण्डमान को भारत की सामरिक शक्ति प्राकृतिक सम्पदा और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बताते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि इस संकट की गंभीरता को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्र और निवासियों का समुद्र के साथ अटूट रिश्ता है। बढता जलस्तर ज़मीन को प्रभावित करने के साथ ही पेयजल, कृषि और मत्स्य पालन के लिए चुनौती पेश कर सकता है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद उन वनों और भित्तियों का संरक्षण आवश्यक है जो समुद्री लहरों और चक्रवात के प्रभाव को कम करते हैं। प्रकृति के साथ विकास कार्यों का एक बेहतर संतुलन बनाया जाना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग के साथ ही वर्ष जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। स्थानीय एवं जनजातीय समाज के अनुभव इस संकट को कम करने में अहम साबित हो सकते हैं। अण्डमान आने वाले समय में ये जल मार्ग से व्यापार का बडा केन्द्र बनेगा तथा भारत को सम्पन्न देशों में शामिल कराने का आधार होगा। अण्डमान में आने वाले समय में होने वाला विकास कार्य देश को सामरिक रूप से भी मजबूत बनाएगा।

लोक निवास से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. सी.एम. नौटियाल जी, डॉ. मुकुंद शर्मा जी, डॉ. ध्रुवसेन सिंह जी, डॉ. आत्मप्रकाश मिश्र जी, डॉ. वेंकटेश दत्ता जी, प्रो. कंचनलता जी, प्रो. शालिनी श्रीवास्तव जी, पार्षद श्री स्वदेश सिंह जी, प्रो. पूनम वर्मा जी आदि उपस्थित रहे।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी की नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से स्नेहिल भेंट हुई। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जल प्रबंधन के स्थाई समाधान के संबंध में सार्थक चर्चा हुई।

## शहीद द्वीप में जनता दर्शन का आयोजन



श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल के निर्देशानुसार, दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन द्वारा 4 नवम्बर, 2026 को शहीद द्वीप की नील केंद्र ग्राम पंचायत में दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त की अध्यक्षता में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम जनता को अपनी शिकायतों एवं समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए सुलभ मंच उपलब्ध कराना तथा उनका समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना था।

जनता दर्शन के दौरान दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों तथा आम जनता के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनके द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों एवं समस्याओं को सुना। संबंधित विभागाध्यक्षों को इन शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए उचित कार्रवाई करने तथा शहीद द्वीप के निवासियों को आवश्यक जन सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

लंबित उप–विभाजन, सीमांकन एवं भूमि अलग रखने से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक क्षेत्रीय कार्रवाई हेतु शहीद द्वीप के पटवारखाना में एक सर्वेक्षक तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, पात्र निवासियों के अभिलेखों में आवश्यक सुधार की सुविधा प्रदान करने के लिए 6 नवम्बर, 2026 से शहीद द्वीप के पटवारखाना में द्वीपवासी कार्ड सुधार शिविर प्रारंभ किया जाएगा।

प्रस्तावित भरतपुर एवं सीतापुर समुद्र तट प्रबंधन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान आम जनता की चिंताओं एवं सुझावों को सुना गया तथा संबंधित विभागों द्वारा उन पर उचित विचार किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। अपने दौरे के दौरान दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शहीद द्वीप का भी निरीक्षण किया तथा विद्यालय से संबंधित समस्याओं का आकलन करने एवं उनके समाधान के लिए विद्यालय

शेष पृष्ठ 4 पर

## श्री विजयपुरम के विभिन्न स्थानों पर नए अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई







श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा अनधिकृत कब्ज़े को रोकने के निरंतर प्रयासों के तहत दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने श्री विजयपुरम तहसील में नए अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की है। 3 नवम्बर, 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान गाराचरामा गांव के आटम पहाड़ में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बनाए गए चार अस्थायी शेड तथा बाड़ पाए गए। इसके उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत संरचनाओं एवं बाड़ को हटाकर लगभग 1,000 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अतिरिक्त, 5 नवम्बर, 2026 को सरकारी राजस्व भूमि पर अनधिकृत कब्ज़े को रोकने के उद्देश्य से ब्रुक्शाबाद एवं अस्टीनाबाद गांवों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान ब्रुक्शाबाद गांव तथा अस्टीनाबाद गांव में सरकारी भूमि पर निर्मित एक–एक अस्थायी संरचना को हटाया गया। दोनों गांवों में

शेष पृष्ठ 4 पर

## अपील

दीपावली प्रकाश, आनंद एवं खुशियों का पर्व है। हालाँकि, इस उल्लासपूर्ण अवसर को हमेशा उचित सावधानी के साथ नहीं मनाया जाता और कभी–कभी यह शोर–शराबे एवं अग्नि दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। इसलिए प्रदूषण, आग लगने के खतरे एवं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतते हुए इस पर्व को ज़िम्मेदारीपूर्वक मनाना अत्यंत आवश्यक है।

मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे पटाखे फोड़ने से बचें, विशेषकर अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंपों तथा सड़कों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखे बिल्कुल न फोड़ें। पटाखे केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही फोड़े जाने चाहिए। आपका सहयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि हमारे अन्य नागरिक भी आनंद, शांति एवं खुशियों के वातावरण में इस पर्व को मना सकें।

दीपावली के पर्व को उसकी वास्तविक भावना एवं गरिमा के अनुरूप मनाएँ।

आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! आपका जीवन सुख, समृद्धि एवं खुशियों से परिपूर्ण हो।

(कमलेश्वर राव एस., भा.प्र.से.,)
सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)–सह–अध्यक्ष (अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

## राष्ट्रीय ई–शासन सेवा वितरण आकलन 2025 के नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने द्वीपसमूह के सभी नागरिकों एवं सरकारी सेवाओं के लाभार्थियों से भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ई–शासन सेवा वितरण आकलन (NeSDA) 2025 के नागरिक सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।

नागरिक सर्वेक्षण, NeSDA 2025 आकलन का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन माध्यमों से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभवों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं से डिजिटल सेवा वितरण की प्रभावशीलता, सुलभता एवं गुणवत्ता का आकलन करने तथा आगे सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।

प्रशासन ने नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं के लाभार्थियों से सर्वेक्षण में भाग लेने और ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। प्रशासन विभिन्न विभागों एवं मीडिया माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार–प्रसार तथा अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

नागरिक सीधे लिंक https://forms.gle/

शेष पृष्ठ 4 पर

## भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से तीन बछियों का जन्म, पशुधन विकास में अण्डमान–निकोबार की ऐतिहासिक उपलब्धि





श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने पशुधन विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक (ईटीटी) के माध्यम से उत्पन्न पहली तीन मादा बछियों का जन्म हुआ है। इस वर्ष की शुरुआत में एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के सहयोग से शुरू की गई यह अग्रणी पहल द्वीपों की परिस्थितियों में उन्नत भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का पहला सफल क्रियान्वयन है।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सहायक

शेष पृष्ठ 4 पर

## शहीद द्वीप में जनता दर्शन का आयोजन

—————————पृष्ठ 1 का शेष





प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), नील केंद्र का दौरा किया, जहां चिकित्सा एवं सहायक कर्मचारियों के साथ बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र के संचालन से संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं की समीक्षा की।

दोनों संस्थानों के दौरे के दौरान सामने आई आवश्यकताओं एवं समस्याओं को विधिवत दर्ज़ किया गया तथा उपायुक्त ने संबंधित विभागों के समन्वय से आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जनता दर्शन सुलभ, उत्तरदायी एवं नागरिक–केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के प्रति ज़िला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन नागरिकों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने तथा जन सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की जनसंपर्क पहलों को निरंतर जारी रखेगा।

## श्री विजयपुरम के विभिन्न स्थानों पर नए

—————————पृष्ठ 1 का शेष

सरकारी भूमि पर किए गए बाड़ के रूप में अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 0.10 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी मूल स्थिति में बहाल किया गया।

दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ज़िला प्रशासन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराता है तथा आम जनता को ऐसी किसी भी अनधिकृत गतिविधि से सावधान करता है। नागरिकों को भूमि उपयोग एवं स्वामित्व से संबंधित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, उन्हें अतिक्रमण की घटनाओं की सूचना प्रशासन को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ऐसी जानकारी ज़िला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 03192–240127/238881/1070 अथवा व्हाट्सऐप नंबर 9531888844 पर साझा की जा सकती है। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सभी वास्तविक शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

## भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से तीन बछियों का

—————————पृष्ठ 1 का शेष

संस्था नेटरन डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में निषेचन (इन विट्रो तकनीक) के माध्यम से तैयार भ्रूणों का स्थानीय मवेशियों में प्रत्यारोपण कर उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली संकर गर्भावस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं। यह योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में 220 गर्भावस्थाएँ स्थापित करना है।

इन बछियों में प्रतिदिन औसतन 15 लीटर दूध उत्पादन की क्षमता होगी। यह योजना स्थानीय मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने तथा ताज़े दूध की उपलब्धता में वृद्धि करने के विभागीय प्रयासों का हिस्सा है। विभाग कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से स्थानीय मवेशियों की नस्ल सुधार की प्रक्रिया भी चला रहा है, जिसमें तीन से चार पीढ़ियाँ अथवा 10 से 12 वर्ष का समय लगता है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के उपयोग से इस अवधि को घटाकर तीन से चार वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले ये मवेशी तथा उनकी संतति अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाले डेयरी पशुधन समूह की स्थापना सुनिश्चित करेंगे और धीरे–धीरे कम दूध देने वाले पशुओं का स्थान लेंगे।

फरवरी, 2026 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक पाँच चरण पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें 112 भ्रूण प्रत्यारोपण किए गए हैं। इनमें से 29 पशुओं में गर्भधारण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 34 अन्य पशुओं में गर्भधारण की पुष्टि होना अभी शेष है।

द्वीपसमूह की पहली भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्मी मादा बछिया का नाम 'श्री' रखा गया है, जिसका जन्म 1 नवंबर, 2026 को कामराज नगर में हुआ। दूसरी मादा बछिया 'नव्या' का जन्म मंगलूटान में तथा तीसरी मादा बछिया 'ससी' का जन्म पोर्ट मोट में हुआ। तीनों बछियाँ स्वस्थ बताई गई हैं तथा उनका प्रसव सामान्य रूप से हुआ।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने सफल भ्रूण प्रत्यारोपण, गर्भावस्था की निगरानी एवं प्रसव में शामिल लाभार्थी किसानों तथा पशु चिकित्सा दलों को बधाई दी है। पशुपालकों से अपील की गई है कि वे आगे आएँ तथा अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक एवं अन्य उन्नत प्रजनन सेवाओं का लाभ उठाएँ।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभाग आगामी चरणों में इस कार्यक्रम को और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उन्नत डेयरी विकास के एक नए युग का सूत्रपात होगा।

## राष्ट्रीय ई–शासन सेवा वितरण आकलन 2025

—————————पृष्ठ 1 का शेष

+ **MPDGVJ6tKPBnMKsEA** के माध्यम से सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में NeSDA वे फॉरवर्ड पोर्टल **https://nesda.gov.in/wayforward/citizen-survey** के माध्यम से भी भाग लिया जा सकता है।

ये लिंक अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राज्य पोर्टल **https://andamannicobar.gov.in/** पर भी उपलब्ध हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण पहल में आगे आकर भाग लेने का आग्रह किया है। प्रत्येक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी, प्रभावी एवं नागरिक–अनुकूल बनाने में योगदान देगी। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है! बेहतर डिजिटल शासन के लिए आज ही भाग लें।

# टीबी मुक्त भारत अभियान : डिगलीपुर में लगा आयुष्मान आरोग्य शिविर

डिगलीपुर, 5 नवंबर।

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त कार्यस्थल पहल के तहत आज सहायक आयुक्त कार्यालय, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उप–ज़िला अस्पताल, डिगलीपुर की टीबी इकाई द्वारा सहायक आयुक्त, डिगलीपुर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप–ज़िला अस्पताल, डिगलीपुर के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया।

इस स्वास्थ्य शिविर में प्रशासनिक भवन के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। शिविर के दौरान कुल 79 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जाँच एवं रक्तचाप (बीपी) तथा रक्त शर्करा स्तर सहित विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की जाँच की गई। त्वरित जाँच एवं शीघ्र निदान संबंधी आँकड़े प्राप्त करने के लिए पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स–रे मशीन का भी उपयोग किया गया।

कार्यस्थल आधारित ऐसी स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से प्रशासन स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने तथा टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की स्वास्थ्य जाँच सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों तक इन सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित हो तथा पूरे प्रशासन में स्वस्थ कार्यस्थल की अवधारणा को बढ़ावा मिले।



# होमस्टे संचालकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम 16 नवम्बर से

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (आईएचएम), मुंबई के सहयोग से आरएएमपी योजना के अंतर्गत होमस्टे संचालकों के लिए छह दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 21 नवंबर तक डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), डॉलीगंज के होटल प्रबंधन विभाग में आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान होमस्टे संचालकों, होमस्टे संचालन शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों तथा उनके कर्मचारियों को होमस्टे संचालन के लिए आवश्यक पाक–कला कौशल, भोजन की प्रस्तुति एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। प्राप्त विज्ञप्ति में सभी पंजीकृत एवं इच्छुक होमस्टे संचालकों तथा उनके कर्मचारियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सेवा संबंधी दक्षता एवं मानकों को बेहतर बनाने का आग्रह किया गया है। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र लिंक **https://forms.gle/mnePf5YkffAUE7bJ8** के माध्यम से अपना पंजीकरण कराएँ।

अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के योजना अनुभाग से ई–मेल **tourismplanning2013@gmail.com** पर संपर्क किया जा सकता है।

# भारी वर्षा की संभावना

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के एक–दो स्थानों पर 9 एवं 10 नवंबर, 2026 को भारी वर्षा (7 से 11 सेंटीमीटर) होने की प्रबल संभावना है। आपदा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 6 नवम्बर, 2026 को रात 11.30 बजे तक 18.0 से 20.0 सेकंड आवर्तकाल तथा 1.4 से 1.5 मीटर ऊंचाई वाली उफनती समुद्री लहरों का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विज्ञप्ति में चेतावनी दी गई है कि समुद्री लहरों के अचानक उफान मारने की संभावना है। अतः नौकाओं का संचालन अत्यंत सतर्कता के साथ करने तथा समुद्र में मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के दौरान उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

# द्वीप पर्यटन महोत्सव–2026

## कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा द्वीपसमूह के विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

## द्वीपों के सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक बढ़ाई गई

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा द्वीप पर्यटन महोत्सव–2026 का आयोजन 27 से 31 दिसंबर, 2026 तक किया जाना निर्धारित है। महोत्सव के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों एवं संस्थाओं से पहले ही आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। अब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2026 को शाम 4 बजे तक बढ़ा दी गई है। प्रत्येक समूह को कम से कम चार से छह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रत्येक अवसर पर नृत्य प्रस्तुतियों की न्यूनतम अवधि 30 मिनट तथा गायन प्रस्तुतियों की अवधि 45 मिनट से एक घंटे तक होनी चाहिए। इससे कार्यक्रम चयन समिति को विभिन्न स्थलों पर प्रस्तुतियों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं चयन करने में सुविधा होगी। भाग लेने वाले कलाकारों की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा प्रत्येक स्थल पर प्रस्तुति देने वाले समूह में न्यूनतम 8 और अधिकतम 15 सदस्य होने चाहिए। आवेदन के साथ एक स्व–प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि समूह महोत्सव के दौरान विभाग द्वारा आवंटित किसी भी निर्धारित स्थल पर प्रस्तुति देने के लिए सहमत है। निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी वापस ली जा सकती है तथा भविष्य के कार्यक्रमों के लिए विचार करते समय विभाग द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

आवेदन 10 नवंबर, 2026 को शाम 4 बजे तक व्यक्तिगत रूप से कला एवं संस्कृति निदेशालय, सेल्यूलर जेल परिसर, अटलांटा प्वाइंट, श्री विजयपुरम में अथवा ई–मेल **artand.culture@and.nic.in** के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक–I) वेबसाइटों **https://andaman.gov.in** तथा **https://artculture.andamannicobar.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है:

कार्यक्रम चयन समिति द्वारा विभिन्न स्थलों के लिए कार्यक्रमों का चयन 11 एवं 12 नवंबर, 2026 को नृत्य समूहों तथा 13 नवंबर, 2026 को गायन समूहों के लिए आयोजित पूर्वाभ्यास के दौरान किया जाएगा। पूर्वाभ्यास अण्डमान क्लब में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होंगे।

विभाग शास्त्रीय, अर्ध–शास्त्रीय, पारंपरिक एवं लोक नृत्यों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के संबंधित संगीत रूपों, जैसे भजन, क़व्वाली एवं लोकगीतों की प्रस्तुति को प्रोत्साहित करता है। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रतिभागियों को उपर्युक्त तिथि एवं समय के अनुसार अपनी प्रस्तुतियां प्रदर्शित करने के लिए चयन समिति के समक्ष उपस्थित रहने को कहा गया है। चयन के बाद तिथि, समय एवं स्थल में परिवर्तन विभाग के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक संगठन कार्यालय समय के दौरान दूरभाष संख्या 03192–234775 पर संपर्क कर सकते हैं।

# दीपावली के दौरान वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर की निगरानी करेगा एएनपीसीसी

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। पटाखों के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति नागरिकों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे संवेदनशील वर्गों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर अधिक खतरा उत्पन्न होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा मूल आवेदन संख्या 728/2015 के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिनांक 23.10.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके तहत पटाखे फोड़ने का समय दो घंटे अर्थात रात 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्देशों के अनुरूप, अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत परिवेशी वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर की अल्पकालिक निगरानी कर रही है। यह निगरानी कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित किया जा रहा है। एएनपीसीसी द्वारा अबर्डीन बाज़ार, डॉलीगंज एवं मीठाखाड़ी में तीन निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र 15 दिनों तक संचालित रहेंगे। निगरानी की शुरुआत दीपावली से सात दिन पूर्व अर्थात 01.11.2026 से होगी तथा दीपावली के सात दिन बाद अर्थात 15.11.2026 तक जारी रहेगी। निगरानी के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड ($SO_2$), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ($NO_2$), कणीय पदार्थ ($PM_{10}$ ,oa $PM_{2.5}$), $PM_{10}$ में सीसा (Pb), निकेल (Ni) एवं आर्सेनिक (As) जैसी धातुओं तथा $PM_{2.5}$ में एल्युमिनियम (Al), बेरियम (B) एवं लौह (Fe) जैसे चयनित तत्वों एवं धातुओं के स्तर का आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दीपावली से पूर्व के दिनों एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर की निरंतर निगरानी भी की जाएगी। इस वर्ष दीपावली 8 नवम्बर, 2026 को मनाई जाएगी। एएनपीसीसी का निगरानी कार्यक्रम 01.11.2026 से 15.11.2026 तक चलेगा, जिससे पर्व से पहले एवं बाद के महत्वपूर्ण सात–सात दिनों के दौरान आँकड़े एकत्र किए जा सकेंगे। परिवेशी वायु गुणवत्ता का आकलन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता को अच्छी से लेकर गंभीर तक छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे नागरिकों को प्रदूषण के स्तर तथा उससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को समझने में सहायता मिलती है।

| वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) | स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव |
|---|---|
| अच्छी (0–50) | न्यूनतम प्रभाव। |
| संतोषजनक (51–100) | संवेदनशील व्यक्तियों को साँस लेने में मामूली परेशानी। |
| मध्यम (101–200) | फेफड़ों के रोग, अस्थमा एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को साँस लेने में परेशानी। |
| खराब (201–300) | लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकांश लोगों को साँस लेने में परेशानी। |
| बहुत खराब (301–400) | लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारियाँ होने की आशंका। |
| गंभीर (>400) | स्वस्थ व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है तथा पहले से बीमार लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। |

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निगरानी अवधि के दौरान दर्ज़ किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की गणना की जाएगी। पिछले वर्ष (2025) में अबर्डीन बाज़ार एवं डॉलीगंज स्थित दोनों निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर "संतोषजनक" आंका गया था। अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) त्योहारी मौसम के दौरान वायु एवं ध्वनि की गुणवत्ता बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

# प्रथम बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर।

भारत की एकमात्र परिचालन त्रि–सेवा कमान, अण्डमान तथा निकोबार कमान (एएनसी) के तत्वावधान में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं समन्वित समुद्री अभियानों के बाद प्रथम बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास 3 नवंबर को श्री विजयपुरम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस अभ्यास में बिम्सटेक सदस्य देशों के नौसैनिक पोतों ने भाग लिया। इनमें भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस तारागिरी, आईएनएस करमुक एवं आईएनएस सरयू, म्यांमार नौसेना का पोत यूएमएस किंग आंग जया तथा श्रीलंका नौसेना का पोत एसएलएनएस गजबाहु शामिल थे। यह महत्वपूर्ण पहल क्षेत्रीय समुद्री सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभ्यास में कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों एवं विशिष्ट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें बिम्सटेक के महासचिव महामहिम इंद्र मणि पांडेय, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता (सेवानिवृत्त), म्यांमार नौसेना की केंद्रीय नौसैनिक कमान के कमांडर रियर एडमिरल क्याव क्याव हू, श्रीलंका के बंदरगाह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निदेशक (निगरानी एवं मूल्यांकन) एयर वाइस मार्शल एमडीआर प्रसाद (सेवानिवृत्त) तथा बांग्लादेश के बीएनएस प्रतॉय के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद मोंजुरुल इस्लाम शामिल थे। दिल्ली घोषणा की भावना के अनुरूप तथा नवंबर, 2025 में आयोजित समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की चौथी बैठक के निष्कर्षों को आगे बढ़ाते हुए आयोजित इस अभ्यास ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को आपसी परिचालन समन्वय बढ़ाने, पेशेवर संवाद को सुदृढ़ करने तथा संयुक्त समुद्री गतिविधियों के माध्यम से पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। श्री विजयपुरम में आयोजित बंदरगाह चरण के दौरान उच्चस्तरीय बैठकें, पेशेवर संवाद एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान हुआ। इससे भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों को संस्थागत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिला। इसके बाद 2 एवं 3 नवंबर को श्री विजयपुरम के निकट समुद्री क्षेत्र में आयोजित समुद्री चरण में समन्वित समुद्री तैनाती एवं संयुक्त परिचालन गतिविधियाँ संपन्न की गईं। परिचालन सहयोग के अतिरिक्त, इस अभ्यास ने भाग लेने वाले कर्मियों के बीच स्थायी सौहार्द को बढ़ावा दिया तथा समृद्ध, सुदृढ़ एवं खुले बंगाल की खाड़ी के साझा दृष्टिकोण को मजबूत किया। इसने साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने तथा निरंतर सहयोग के माध्यम से साझा समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए बिम्सटेक देशों के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रथम अभ्यास का सफल समापन बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच व्यापक समुद्री सहभागिता को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अण्डमान तथा निकोबार कमान के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेज़बानी करना क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान देने की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुनः पुष्टि करता है। यह अभ्यास बिम्सटेक ढाँचे के अंतर्गत भविष्य की संयुक्त पहलों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करता है।



*साझा समुद्र, साझा सुरक्षा, साझा समृद्धि।*

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

# किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए निर्धारित 24 घंटे की समय–सीमा उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी– सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 05 नवम्बर।

पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में रखे, उससे पूछताछ करे और फिर कई घंटे बाद कागजों में उसकी गिरफ्तारी दिखाए, अब इस तरह की प्रक्रिया पर कानूनी सवाल और गंभीर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए निर्धारित 24 घंटे की समय–सीमा उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी। यानी पुलिस किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के बाद गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई में देरी करके 24 घंटे की संवैधानिक समय–सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती।



सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करना, दोनों का असर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, उसे थाने या किसी दूसरी जगह रोककर रखती है और उसे अपनी इच्छा से जाने की अनुमति नहीं देती, तो केवल यह कह देने से कि अभी उसकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत की वास्तविक स्थिति नहीं बदल जाती। अदालत के मुताबिक, किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगने का समय ही इस मामले में महत्वपूर्ण है। पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तारी का समय बाद में दर्ज कर देने से वास्तविक हिरासत शुरू होने का समय नहीं बदल सकता। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि की गणना वास्तविक हिरासत से की जाएगी।

आमतौर पर गिरफ्तारी का मतलब किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस के नियंत्रण में लेना और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई पूरी करना होता है। वहीं हिरासत का मतलब है किसी व्यक्ति की गतिविधियों और आने–जाने की आजादी पर रोक लगाना। कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है और उसे थाने या जांच एजेंसी के कार्यालय में रोककर रखती है। ऐसे में पुलिस यह कह सकती है कि व्यक्ति को अभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है। इसके तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देना जरूरी है। अनुच्छेद 22(2) के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा में लगने वाले जरूरी समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस अवधि से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग–अलग हाईकोर्ट के उन फैसलों पर भी सवाल उठाया, जिनमें गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय केवल कानूनी शब्दों के तकनीकी अर्थ तक सीमित नहीं रहा जा सकता। यह देखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वास्तव में कब रोक लगाई गई।

# छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी

नई दिल्ली, 05 नवम्बर।

भारत निर्वाचन आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) कराने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नामों और अन्य विवरणों को भी दुरुस्त किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, SSR की प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में आयोजित की जाएगी। इस दौरान 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

खास बात यह है कि जिन युवाओं की उम्र 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे भी अग्रिम रूप से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत युवाओं को मतदाता बनने के लिए अपनी पात्रता तिथि के अनुसार आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराई जाएगी। इनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार अलग–अलग चरणों में काम किया जाएगा।




आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, वहां विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इस सूची में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

निर्वाचन आयोग ने SSR के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम भी जारी किया है। इसके तहत सबसे पहले 20 नवंबर 2026 तक पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रविष्टि में सुधार की जरूरत है, तो निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।

# एआई की मदद से बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों पर बढ़ रहे साइबर हमले, केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली, 05 नवम्बर (हि.स.)।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट (एनसीटीएयू) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत सीईआरटी–इन ने बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और फिनटेक कंपनियों पर बढ़ते साइबर हमलों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।

एजेंसियों के अनुसार, हाल के दिनों में ऐसे साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई है, जिनमें अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना है। कई मामलों में फंड डिस्बर्समेंट सिस्टम और एपीआई का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए के अनधिकृत लेनदेन किए गए हैं। जारी चेतावनी के मुताबिक, हमलावर सबसे पहले इंटरनेट से जुड़े ऐसे सर्वर और आईटी सिस्टम की पहचान करते हैं, जिनमें सुरक्षा खामियां होती हैं या जिनका अपडेट समय पर नहीं किया गया होता। कई मामलों में ग्राहक शिकायत प्रणाली को भी निशाना बनाया जाता है।

इसके बाद हैकर्स भुगतान और फंड ट्रांसफर से जुड़े ऑटोमेटेड सिस्टम तथा एपीआई पर हमला करते हैं। एआई आधारित तकनीकों की मदद से यह पूरा हमला मशीन की गति से अंजाम दिया जाता है। अवैध रूप से निकाला गया पैसा विभिन्न बैंकों में मौजूद तथाकथित "म्यूल अकाउंट्स" में भेजा जाता है। इसके बाद राशि को आईएमपीएस और एनईएफटी जैसे माध्यमों से तेजी से आगे ट्रांसफर या नकद निकासी कर ली जाती है। जांच से बचने के लिए अपराधी रिकॉर्ड मिटाने और अपने डिजिटल निशान छिपाने की भी कोशिश करते हैं।

सीईआरटी–इन और आई4सी ने सभी बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे संचालकों को सुरक्षा उपाय तुरंत लागू करने की सलाह दी है।



निर्देशों के अनुसार किसी भी साइबर घटना की जानकारी छह घंटे के भीतर सीईआरटी–इन को देनी होगी। बैंकों और एनबीएफसी को घटना की रिपोर्ट छह घंटे के भीतर आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर भी दर्ज करनी होगी। धोखाधड़ी वाले लेनदेन की बड़ी संख्या में रिपोर्टिंग के लिए एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां आई4सी से संपर्क कर सकती हैं, ताकि संदिग्ध राशि को फ्रीज किया जा सके।

एजेंसियों ने वित्तीय संस्थानों को सलाह दी है कि वे भुगतान से जुड़ी सभी एपीआई की सूची तैयार करें और पुरानी या इस्तेमाल न होने वाली एपीआई को तुरंत निष्क्रिय कर दें। साथ ही मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम और आईटी टीम के बीच बेहतर समन्वय बनाने की सलाह दी गई है।

निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक लेनदेन और दैनिक भुगतान की सीमा तय की जाए। लाभार्थी के नाम और खाते का सत्यापन किया जाए। असामान्य गति से होने वाले ट्रांजैक्शनों पर नजर रखी जाए। गैर–अधिकृत आईपी एड्रेस से होने वाले एक्सेस प्रयासों की निगरानी की जाए। ग्राहक सहायता और शिकायत तंत्र की सुरक्षा मजबूत की जाए। केवाईसी और अन्य जरूरी मंजूरियों के बिना फंड ट्रांसफर की अनुमति न दी जाए।

# अंतरिक्ष मलबा हटाने की तकनीक विकसित करने में भारत अग्रणी– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सक्रिय अंतरिक्ष मलबा हटाने (एक्टिव डेब्रिस रिमूवल) की दिशा में भारत की उभरती क्षमताएं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और पूरी मानवता के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य लिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन से वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद में कॉसमोसर्व स्पेस की 'बेस–1' सुविधा का उद्घाटन किया। गाचीबोवली स्थित वीएसडी टेक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार के आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और कॉसमोसर्व स्पेस के संस्थापक एवं सीईओ डॉ. चिरंजीवी फणींद्र मौजूद रहे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 14,800 वर्ग फुट में फैली बेस–1 अत्याधुनिक और व्यापक सुविधा है। यहां अंतरिक्ष रोबोट का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया जाएगा। साथ ही, मिशन कंट्रोल के माध्यम से इनके संचालन की व्यवस्था भी होगी। इस केंद्र में ऑर्बिटल रेंडेजवस एवं कैप्चर लैब, स्पेस रोबोटिक्स इनोवेशन लैब, माइक्रोग्रैविटी सिमुलेशन प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट इंटीग्रेशन क्लीन रूम जैसी विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं।

# घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं पर सख्ती, विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 05 नवम्बर।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के विनिर्माण पर लगाम लगाने और दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत निर्धारित महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जा सकेंगे। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य दवा विनिर्माण की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना तथा गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

प्रस्ताव के मुताबिक, यदि किसी दवा के परीक्षण में सक्रिय औषधीय तत्वों की निर्धारित मात्रा, घुलनशीलता, संबंधित पदार्थों, अशुद्धियों या रोगाणु–मुक्तता यानी स्टेरिलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण मानकों में कमी पाई जाती है, तो संबंधित निर्माता का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, निलंबित लाइसेंस की बहाली भी तभी संभव होगी, जब निर्माता की ओर से किए गए सुधारात्मक और निवारक उपायों का नियामक एजेंसियां सत्यापन कर लेंगी।

इसके अलावा, दवा नियामक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रस्ताव है। सरकार की इस पहल का मकसद दवाओं की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता रोकना और आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।

# अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के 30 उम्मीदवारों की जीत

नई दिल्ली, 05 नवम्बर।

अमेरिका में मंगलवार को हुए मध्यावधि चुनावों में कम से कम 30 भारतीय–अमेरिकी उम्मीदवारों के राज्य विधानसभाओं की सीटें जीतने के बाद भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता दो राज्यों मिशिगन और एरिजोना की विधानसभाओं का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मिशिगन में रंजीव पुरी ने 24वें जिले से लगभग 66 प्रतिशत वोट हासिल कर दोबारा जीत दर्ज की। डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य विधानसभा में फिर से बहुमत हासिल करने और राज्य सरकार पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद उनका कद और मजबूत हुआ है। 24वें जिले से लगभग 66 प्रतिशत वोट हासिल कर दोबारा जीत दर्ज की। डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य विधानसभा में फिर से बहुमत हासिल करने और राज्य सरकार पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद उनका कद और मजबूत हुआ है। चुनाव जीतने के बाद रंजीव पुरी ने कहा, मिशिगन की जनता ने अपनी आवाज बुलंद कर दी और साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को राज्य विधानसभा (हाउस) में बहुमत देकर अपना फैसला सुना दिया है।

# अगर इंटरनेट डेटा नहीं चाहिए तो पैसे भी मत देना, उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे रिचार्ज प्लान

नई दिल्ली, 05 नवम्बर।

मोबाइल रिचार्ज कराने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों को ऐसे रिचार्ज प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे जिनमें सिर्फ वॉइस कॉल और SMS की सुविधा हो। यानी जिन ग्राहकों को इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है, उन्हें अब डेटा वाले महंगे प्लान लेने की मजबूरी नहीं होगी। TRAI के इस फैसले से खास तौर पर कम आय वाले उपभोक्ताओं और उन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो मोबाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए करते हैं।

TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को 30 दिन या उससे कम अवधि वाले केवल वॉइस कॉल और SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर पेश करने होंगे। इसके साथ ही इन प्लान की कीमतों में भी उचित टैरिफ कटौती करनी होगी, ताकि ग्राहकों को किफायती विकल्प मिल सकें।

TRAI ने बताया कि दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन), 2024 लागू होने के बाद बाजार में सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान की उपलब्धता सीमित हो गई थी। ज्यादातर कंपनियां लंबी वैधता वाले प्लान पर ज्यादा ध्यान दे रही थीं। इस वजह से ऐसे ग्राहक जो केवल कॉलिंग सुविधा चाहते थे, उन्हें अपनी जरूरत से ज्यादा सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ रहा था। नियामक ने इसी समस्या को देखते हुए नए बदलाव किए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा केवल वॉइस और SMS वाला प्लान भी उपलब्ध कराना होगा जिसे ग्राहक हर महीने एक निश्चित तारीख पर दोबारा रिन्यू कर सकें। अगर किसी महीने में वह तारीख




उपलब्ध नहीं होती है तो रिन्यूअल उस महीने की आखिरी तारीख को किया जाएगा। इससे ग्राहकों को बार–बार अलग–अलग तारीखों पर रिचार्ज करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

TRAI ने कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि कम अवधि और मासिक प्लान के अलावा लंबी वैधता वाला कम से कम एक केवल वॉइस और SMS STV भी उपलब्ध कराया जाए। इसका टैरिफ भी उसी अवधि वाले वॉइस, SMS और डेटा प्लान की तुलना में उचित रखा जाना होगा।

TRAI का कहना है कि इस संशोधन से उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार मोबाइल प्लान चुनने की आजादी मिलेगी। नए नियमों के बाद बाजार में अलग–अलग वैधता अवधि वाले सिर्फ वॉइस और डेटा प्लान की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। इससे खासकर उन यूजर्स को फायदा होगा जो इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते या डेटा वाले बंडल प्लान नहीं लेना चाहते।

# इतिहास के पन्नों में 06 नवंबर : 1962 में जब बनी राष्ट्रीय रक्षा परिषद, सुरक्षा नीति को मिली नई दिशा

नई दिल्ली, 05 नवम्बर (हि.स.)।

भारत के इतिहास में 06 नवंबर 1962 का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी दिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद का गठन किया था, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मामलों पर सलाह देना था। भारत–चीन युद्ध के बाद देश को एहसास हुआ कि रक्षा और विदेश नीति के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में बनी यह परिषद देश के सुरक्षा ढांचे की पहली औपचारिक संस्था बनी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

परिषद का कार्यक्षेत्र पारंपरिक रक्षा से आगे बढ़कर आतंकवाद, उग्रवाद–निरोध, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे विषयों को भी समाहित करता है। इसने भारत की दीर्घकालिक सामरिक नीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वर्ष 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन इसी ढांचे के विस्तार के रूप में किया गया, जिसमें ब्रजेश मिश्रा देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। इस तरह 06 नवंबर 1962 का दिन भारत की सुरक्षा नीति के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1763 – ब्रिटिश फौज ने मीरकासिम को हराकर पटना पर क़ब्ज़ा किया।

1860 – अब्राहम लिंकन अमेरिका के सेलहवें राष्ट्रपति चुने गए।

1903 – अमेरिका ने पनामा के स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की।

1913 – दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया।

1943– दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे।

1949 – यूनान में गृह युद्ध समाप्त हुआ।

1962 – राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई।

1990 – नवाज शरीफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।

1994 – अफ़ग़ानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफ़ग़ान शांति योजना स्वीकृत।

1998 – सियाचिन में युद्धविराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर।

2000 – ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा।

2008 – स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्रधान ब्याज दर (जीएलआर) और जमादारों के कटौती की घोषणा की।

2013 – सीरिया के दमस्कस में आत्मघाती विस्फोट में आठ मरे, 50 घायल।

2013 – इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला, 15 मरे।

2013– महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रो. सीएनआर राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई।

## सूचना

सं. एम–17027/1/2023– सहायक प्रबंधक (आईएमएफएल)–अनिडको–एएन/ई–16236 दिनांक 05.11.2026

आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिवाली के अवसर पर अनिडको के सभी आईएमएफएल (IMFL) खुदरा बिक्री केंद्र दिनांक 08 नवंबर, 2026 को अपराह्न 1.00 बजे से बंद रहेंगे। हालाँकि, उक्त दिन दुकानें प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक खुली रहेंगी। सामान्य संचालन दिनांक 09 नवंबर, 2026 से पुनः प्रारंभ होगा।

महाप्रबंधक (आईएमएफएल), अनिडको

F.No.4-64/DC(N&MA)/2023/Vol-III/2545
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
उपायुक्त का कार्यालय
उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला, मायाबंदर
दिनांक 05 नवंबर, 2026.

## प्रेस नोट/सूचना

उत्तर और मध्य अंडमान जिले में खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी (EC), ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों के तहत राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी (SEIAA), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा फ़ाइल संख्या 2-11/PCC/EIA Notfn./2026 दिनांक 02/11/2026 के जरिए जारी की गई, सभी हितधारकों के संदर्भ के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के राज्य पोर्टल (https://www.andamannicobar.gov.in) के घोषणा अनुभाग में प्रकाशित की गई है।

| | |
|---|---|
| मधुपुर | https://andamannicobar.gov.in/admin-pannel/whatsnew/3635-EC-Madhupur%20SIGNED.pdf |
| श्यामनगर | https://andamannicobar.gov.in/admin-pannel/whatsnew/3633-EC-Shyamnagar%20SIGNED.pdf |
| हरिनगर | https://andamannicobar.gov.in/admin-pannel/whatsnew/3634-EC-Harinagar%20SIGNED.pdf |
| पंचावटी | https://andamannicobar.gov.in/admin-pannel/whatsnew/3636-EC-Panchwati%20SIGNED.pdf |

ह/–
सहायक आयुक्त (मुख्यालय)
उत्तर और मध्य अंडमान जिला

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, मीठाखाड़ी की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/164
कार्य का नाम : मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के अंर्तगत मुस्लिम बस्ती में मौजूदा मुस्लिम कब्रिस्तान सड़क से एन.के. उन्निन के जमीन तक विस्तार।
अनुमानित लागत : रु. 26,88,202/–, धरोहर राशि : रु. 53,764/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (08) आठ माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25608_1 कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, श्याम नगर, स्वराज द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/एम जी/2026–27/171
कार्य का नाम : स्वराज द्वीप, श्याम नगर ग्राम पंचायत के अंर्तगत विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय इकाइयों का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत : रु. 37,53,905/–, धरोहर राशि : रु. 75,078/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 16/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25723_1 कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, छोलदारी की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/जीईएन/2026–27/170
कार्य का नाम : छौलदारी ग्राम पंचायत के अंर्तगत छौलदारी में वी. अरूमुगम के घर के पास रिटेनिंग वॉल का मरम्मत।
अनुमानित लागत : रु. 14,20,015/–, धरोहर राशि : रु. 28,400/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 11/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25691_1 कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, गोविन्द नगर, स्वराज द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/एमजी/2026–27/159
कार्य का नाम : स्वराज द्वीप, गोविन्द नगर ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड संख्या 05 में बोंगा घाट चर्च के पास शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत : रु. 12,45,644/–, धरोहर राशि : रु. 24,913/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 11/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25664_1 कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## देश के जीडीपी में क्रांति लाएगा एआई? रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली, 05 नवम्बर। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढता इस्तेमाल आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। देश में एआई को बड़े स्तर पर अपनाने से सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 28 अरब डॉलर से लेकर 84 अरब डॉलर तक की वृद्धि की संभावना है। आईटी सेवा कंपनी कॉग्निजेंट इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में यह सामने आया कि भारत में कर्मचारी एआई के इस्तेमाल और प्रशिक्षण के मामले में वैश्विक औसत से कहीं आगे हैं।

कॉग्निजेंट इंडिया के अनुसार, सर्वे में शामिल 97 प्रतिशत कर्मचारियों ने यह माना कि एआई टूल्स के इस्तेमाल से उनकी उत्पादकता में सुधार हुआ है, उन्होनें औसतन 15 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि दर्ज होने की बात कही। हालांकि, इस सकारात्मक तस्वीर के बीच एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सही मायने में वर्तमान में केवल 36% कर्मचारियों के पास ही एआई टूल्स की पहुंच है। इसका साफ मतलब है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी एआई के संभावित फायदों का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं।

यह अध्ययन 10 उद्योगों के 700 एंटरप्राइज कर्मचारियों और 75 वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों पर आधारित है। अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से मिलने वाला वास्तविक आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनियां इसे कितने बड़े स्तर पर अपनाती हैं और कर्मचारियों की बढ़ी हुई उत्पादकता को आर्थिक उत्पादन में बदलने में कितनी सफल होती हैं।

कॉग्निजेंट इंडिया के रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था पर एआई के संभावित प्रभाव का भी आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर एआई को पूरे कार्यबल में अपना लिया जाता है और उत्पादकता से मिलने वाले सभी लाभ सीधे आर्थिक उत्पादन में योगदान देते हैं, तो भारत की जीडीपी में सालाना 83 अरब डॉलर तक का सैद्धांतिक फायदा हो सकता है।

# ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 05 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में चारे की कमी को दूर करने, पशुधन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने संयुक्त रूप से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक परामर्श जारी किया है।

मंत्रालय के अनुसार यह परामर्श 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत अंतर–विभागीय अभिसरण के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें एक जुलाई 2026 से लागू हुए वीबी–जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाती है। इस योजना को अब पशुधन और डेयरी क्षेत्र की जरूरतों से जोड़ा गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित 375 कार्यों की सूची में से 22 विशिष्ट कार्यों को चारा उत्पादन और पशुधन बुनियादी ढांचे के लिए चिन्हांकित किया गया है। इनमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर चारे की खेती एवं चारागाहों का विकास, साइलेज इकाइयों, चारा बैंकों और चारा भंडारण सुविधाओं का निर्माण, मवेशियों, बकरियों, सूअरों, पोल्ट्री के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण और रखरखाव, सामुदायिक दूध संग्रह केंद्रों, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों और पशु जलपात्रों का निर्माण और पात्र व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अजोला टैंकों का निर्माण शामिल है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम के कुल व्यय का कम–से–कम 5 प्रतिशत हिस्सा चारा एवं पशुधन विकास से जुड़े कार्यों पर खर्च करें। योजना का खाका निचले स्तर से तैयार किया जाएगा। चारा विकास और



पशुधन सुविधाओं को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) में शामिल किया जाएगा, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में 30 प्रतिशत से अधिक आबादी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर है, वहां आवश्यकता–आधारित 'संतृप्ति दृष्टिकोण' अपनाया जाएगा। इसके लिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईसीएआई–आईजीएफआरआई) द्वारा तैयार राज्य–विशिष्ट चारा योजनाओं को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

जारी सलाह में स्पष्ट किया गया है कि सभी कार्य वैधानिक नियमों के तहत ही होंगे। इसमें जिला स्तर पर सामग्री घटक की अधिकतम 40 प्रतिशत सीमा, अनिवार्य सोशल ऑडिट, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और शिकायत निवारण प्रणालियों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह संयुक्त पहल छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को सशक्त बनाने, जलवायु–अनुकूल खेती को बढ़ावा देने और डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार के इस 'होल–ऑफ–गवर्नमेंट अप्रोच' से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

## माई भारत पोर्टल पर शुरू हुई 'खेलो भारत' क्विज, 20 नवंबर तक चलेगी

नई दिल्ली, 05 नवम्बर (हि.स.)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने बुधवार को माई भारत पोर्टल पर खेलो भारतः विनिर्माण से लेकर पदक जीतने तक की यात्रा पर प्रश्नोत्तरी शुरू की है। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य देश के खेल पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना, घरेलू खेल सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा देना, एशियाई खेल–2026 और एशियाई पैरा खेल–2026 में भारत की उपलब्धियां तथा सरकार की पहल के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाना है।

खेल मंत्रालय के अनुसार यह प्रश्नोत्तरी 20 नवंबर तक चलेगी, जिसे आम लोगों, विद्यार्थियों, युवाओं, पेशेवरों और खेल प्रेमियों को खेल सामग्री विनिर्माण एवं नवाचार से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तक, भारत के बढ़ते खेल पारितंत्र की जानकारी प्राप्त करने और इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रश्नोत्तरी में खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसके लिए 1,856.67 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित है। योजना का उद्देश्य भारत में घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के दो घटक प्रोत्साहन और हस्तक्षेप हैं। इनमें निवेश सहायता, विनिर्माण क्षेत्र, मौजूदा क्लस्टर, उत्पादन प्रोत्साहन, प्रमाणन एवं परीक्षण, अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप, ब्रांडिंग और प्रचार–प्रसार शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, निर्यात में बढ़ोतरी लाना तथा भारतीय खेल सामग्री निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत बनाना है। प्रश्नोत्तरी में जापान में आयोजित एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल में भारत की भागीदारी से संबंधित विषय भी शामिल हैं।

प्रश्नोत्तरी में कोई आयु सीमा नहीं है और सभी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। इसमें लिंग, शैक्षणिक योग्यता या राज्य के आधार पर कोई विशेष पात्रता प्रतिबंध नहीं है। प्रतिभागियों को 20 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने से पहले उन्हें




माई भारत पोर्टल पर उपलब्ध संदर्भ सामग्री का अध्ययन करना चाहिए।

## भारत गुयाना को 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देगा

नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज एंटीगुआ और बारबुडा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने गुयाना की विकास प्राथमिकताओं और अवसंरचना परियोजनाओं के समर्थन के लिए भारत द्वारा 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नई ऋण रेखा (लाइन ऑफ क्रेडिट) के विस्तार की भी घोषणा की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति एवं स्थापना, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के क्षेत्र में सहयोग और गुयाना में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी प्रणाली का संचालन शामिल है।

## दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो ने की संन्यास की घोषणा, 23 साल का शानदार सफर खत्म

नई दिल्ली, 05 नवम्बर। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ उनका 23 साल का शानदार सफर समाप्त हो गया। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं और खुद को फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में स्थापित किया।

रोनाल्डो ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। भावुक संदेश में उन्होंने पुर्तगाल के लिए खेलने के अपने अनुभवों को याद किया और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए प्रशंसकों का आभार जताया।

रोनाल्डो ने कहा कि अब राष्ट्रीय टीम की प्रतिष्ठित नंबर–7 जर्सी अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को ऐसा सफर बताया, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने अपने विदाई संदेश में कहा कि पुर्तगाल के लोगों, वह समय आ गया है जब मैं राष्ट्रीय टीम की नंबर–7 जर्सी वापस सौंप दूं। मुझे कभी नहीं लगा कि यह जर्सी सिर्फ मेरी है लेकिन 23 वर्षों तक इसे पहनने, इसका मान करने और दुनिया भर के स्टेडियमों में इसे अपने साथ ले



जाने का सौभाग्य और जिम्मेदारी मिली। अब इसे भविष्य की पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी लिए जाते हैं। अगस्त 2003 में शुरू हुआ यह सफर, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, अब समाप्त हो गया है।रोनाल्डो पुर्तगाल की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 234 मुकाबलों में 146 गोल किए हैं। अपने शानदार करियर में रोनाल्डो ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार भी जीते।

## बढ़ती उम्र में क्यों कमजोर हो जाती हैं मांसपेशियां? वैज्ञानिकों ने खोजा इसका हैरान करने वाला कारण

नई दिल्ली, 05 नवम्बर (हि.स.)। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र ढलने के साथ हमारी शारीरिक ताकत क्यों कम होने लगती है? हाल ही में विज्ञानियों ने मांसपेशियों के कमजोर होने के पीछे का एक चौंकाने वाला सच खोज निकाला है। अच्छी खबर यह है कि इस खोज से भविष्य में मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने के नए इलाज की एक बड़ी उम्मीद जगी है।

कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक नए शोध से पता चला है कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों में जो कमजोरी आती है, वह असल में शरीर की एक छिपी हुई सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। कोशिकाएं खुद को गंभीर क्षति से बचाने के लिए अपनी ही ताकत को जानबूझकर सीमित कर देती हैं। विज्ञानियों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले ये बदलाव वास्तव में मांसपेशियों की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

इसे समझने के लिए मांसपेशियों की बनावट को जानना जरूरी है। हमारी मांसपेशियों के टिश्यूज में अलग–अलग काम करने वाले रेशों के समूह होते हैं:
तीव्र गति वाले रेशेः ये बहुत तेज और शक्तिशाली गति पैदा करते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत जल्दी थक जाते हैं।
धीमी गति वाले रेशेः इसके उलट, ये रेशे शरीर को लगातार किसी गतिविधि को करने में मदद करते हैं। इनमें 'माइटोकान्ड्रिया' की मात्रा बहुत अधिक होती है। माइटोकान्ड्रिया कोशिकाओं की वह संरचना है, जो मांसपेशियों के काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है।

जैसे–जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों की ताकत कम होती है और ऊर्जा देने वाले माइटोकान्ड्रिया की



कार्यक्षमता भी घटने लगती है। लेकिन विज्ञानियों ने यहां एक हैरान करने वाली बात देखी। उन्होंने पाया कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों में 'धीमी गति से सिकुड़ने वाले रेशों' का अनुपात बढ़ जाता है। यह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये रेशे उसी माइटोकान्ड्रिया पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, जिसकी ताकत बुढ़ापे में धीरे–धीरे कम हो रही होती है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोध ने स्पष्ट किया है कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियां एक अलग तरह के फाइबर में क्यों बदल जाती हैं।

शोधकर्ताओं ने मांसपेशियों के क्षय की इस पूरी प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण अणु की पहचान की है। जब चूहों पर इसका अध्ययन किया गया और इस खास अणु को आंशिक रूप से दोबारा बहाल किया गया, तो चूहों में मांसपेशियों के कमजोर होने के लक्षण उलटने लगे। इस शानदार नतीजे ने विज्ञानियों को एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे आने वाले समय में बढ़ती उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की कमजोरी के प्रभावी उपचार विकसित किए जा सकेंगे।